

कार्यालय जिला पंचायत, पीलीभीत

जन सूचना के अधिकार के अर्न्तगत 16 बिन्दुओं पर सूचना का विवरण

क्र०सं०	बिन्दू	
1	अपने संगठन की विशिष्टिया	ग्रामीण अंचलों में शासन से प्राप्त अनुदानों से सडक,पुलिया,खरंजा आदि का निर्माण कर ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना तथा संगठन की आय बढ़ाने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय कर रहे – व्यवसाइयों से कर तथा शुल्क वसूल करना ।
2	अपने अधिकारियों की शक्तियां एवं	कर्मचारी एवं अधिकारी राज्य सरकार के निर्देशन में कार्य करते है और राज्य सरकार के अधीन ही शासकीय कार्य सम्पन्न करते है ।
3	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है ।	क्रम से निम्न अधिकारी / कर्मचारी कार्यरत है ।अपर मुख्य अधिकारी,अभियन्ता,अवर अभियन्ता,प्रशासनिक अधिकारी,कार्यालय सहायक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आदि कार्यरत है ।शासन द्वारा संचालित कार्यक्रम का <u>संचालन / निरीक्षण</u> किया जाता है ।कार्यालय कचहरी परिसर में स्थित है ।
4	अपने कृत्यों के निर्वाहन के लिए स्वयं द्वारा निर्धारित मापदण्ड	अपर मुख्य अधिकारी नियंत्रण अधिकारी का पद सृजित है जिसके नियंत्रण में कार्य अधिकारी,कर अधिकारी,अभियन्ता,अवर अभियन्ता,प्रशासनिक अधिकारी,लेखाकार,कार्यालय सहायक,चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रह कर शासकीय कार्य सम्पन्न करते है ।
5	अपने कर्तव्यों के निर्वाहन हेतु कर्मचारी द्वारा प्रयुक्त अपने नियंत्रणाधीन नियमों,विनियमों,निर्देशों,निर्देशिकाओं तथा अभिलेख	सेवा नियमावली में दिये गये निर्देशों एवं नियमों तथा समय समयपर जारी शसनादेशोअनुपालन सुनिश्चित किया जाना ।
6	ऐसे दस्तावेजो की श्रेणी का विवरण,जो उनके द्वारा धारित किये गये है अथवा उनके नियंत्रण में है	अभिलेख पूर्ण कर,सुरक्षित रखे जाते है नियमानुसार अवलोकन एवं कार्यवाही प्रस्तावित की जाती है ।
7	किसी व्यवस्था का विवरण जिसमें उसकी नीति निर्माण अथवा उसके कार्यान्वयन के संबंध में लोक सदस्यों के साथ परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है	संस्था का जिला पंचायत अध्यक्ष के निर्देशन तथा जिला स्तर की कमेटियों जिसमें जन प्रतिनिधि भाग लेते है ।
8	बोर्डों परिषदों,समितियों और अन्य निकाय जोकि 2 या 2 से अधिक	परिषदों,समितियों की खुली बैठके की जाती है ऐसी बैठके कार्यवृत्त लोगों को प्रेषित की जाती है ।

	व्यक्तिस हो जिसकी स्थापना इसके भाग रूप में अथवा इसकी सलाह में इसके प्रयोजन की लिए की गई हो।	
9	अपने अधिकारियों तथा कर्मचारियों की निर्देशिका ।	सेवानियमावली में दिये गये नियम,निर्देश एवं शासन द्वारा जारी शसनादेशों का अनुपालन किया जाता है ।
10	अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारियों का मासिक जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित हो ।	प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारियों का मासिक पारिश्रमिक में से भविष्य निधि,बीमा योजना पेंशन योजना की प्रणाली सम्मिलित है ।
11	सभी योजनाओं,प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टिया उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट	जिला पंचायत अपने निजी श्रोतों से आय कर अपने अधीनस्थ कार्यालय सहायको से अनुमानित बजट का आय और व्यय का लेखा लेकर बजट तैयार कर परिषद की बैठक में रख कर उस पर चर्चा होने के पश्चात आय-व्यय का बजट अनुमोदित कराकर अग्रिम कार्यवाही की जाती है ।
12	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे के लाभार्थियों के ब्यौरे सम्मिलित है।	शसान से प्राप्त अनुदानों के अर्न्तगत परिषद की बैठके के द्वारा पारित प्रस्ताव के कम में व्यय किया जाता है
13	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां ।	जिला पंचायत द्वारा निर्मित उपविधियों के अर्न्तगत अनुज्ञापत्र निर्गत किये जाते है ।
14	किसी इलेक्टानिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे,जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो ।	<u>टेण्डर/निविदा</u> सूचना
15	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिको को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टिया जिसमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है।	ऐसी कोई भी व्यवस्था उपलब्ध नहीं है ।
16	जन सूचना अधिकारियों के नाम,पदनाम और अन्य विशिष्टिया ।	श्री उमेशन्द्र अपर मुख्य अधिकारी/जनसूचना जनसूचना अधिकारी ।

विभाग का नाम : जिला पंचायत, पीलीभीत ।

क्र०	विभाग तथा विभाग के नियंत्रणाधीन	अधिनियम की धारा4 1 बी	अवशेष	अवशेष मैनुअल पूर्ण
------	---------------------------------	-----------------------	-------	--------------------

सं०	अधीनस्थ कार्यालय,सार्वजनिक निगम,उपक्रम,परिषद,बोर्ड संस्था का नाम	के अन्तर्गत तैयार कर वेबसाइट पर अपलोड किये गये मैनुअल की संख्या	मैनुअल	करने की तिथि
1	2	3	4	5
1	जिला पंचायत	16	निल	निल

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत,
पीलीभीत ।

प्रेषक,

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत,
पीलीभीत ।

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी वित्त/राजस्व
पीलीभीत ।

पत्रांक /सू०अधि०/2008-09 दिनांक:
विषय:- लोक प्राधिकरण द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 4 1 बी के
अर्न्तगत कार्यवाही किये जाने विषयक ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1388 57/रा०सहा०-08 दिनांक 23-6-2008 कें
साथ संलग्न शासन के पत्र संख्या 556/43-2-2008-15/2 3 /2007टी०सी० दिनांक
16जून,2008 के क्रम में सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 1 बी कार्यवाही किये जाने हेतु
निर्देशों की अनुपालन आख्या सी०डी० सहित संलग्न कर,प्रेषित की जा रही है ।

कृपया प्राप्ती स्वीकार करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत,
पीलीभीत ।

